न्यायालयः– प्रथम सिविल जज (अ0ख0) बुलन्दशहर।

विविध वाद संख्याः–522 सन 2022, (मूलवाद संख्या 202 सन् 2021)

अशोक कुमार.....बनाम..... राजेश कुमार

दिनांक **29.05.2024**:

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रार्थनापत्र का0 सं0–6सी2 हेतु नियत है। पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र का0 सं0 6सी2 :–

प्रार्थना पत्र 6सी2 मय शपथ पत्र 7सी2 प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा–151 सी0पी0सी0 एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 03.09.2022 एवं डिक्री को अपास्त कराने हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि सिविल वाद संख्या–202/2021, राजेश कुमार बनाम अशोक कुमार न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2022 को एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया। उक्त वाद में दिनांक 12.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही जारी की गयी थी और दिनांक 19.07.2022 को एकपक्षीय साक्ष्य लेकर दिनांक 25.08.2022 को बहस सुनकर दिनांक 03.09.2022 को मुकदमा एकतरफा डिक्री कर दिया, जिससे उसे नुक्सान है। उसकी वादी से फैसले की बातचीत चल रही थी और इसी कारण उक्त मुकदमें में उसने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया। दिनांक 12.05.2022 को वह रिश्तेदारी में मौत के कारण न्यायालय हाजिर नहीं हो सका। उक्त दिनांक को उक्त वाद में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ हो गयीं। वादी ने उससे कहा कि फैसला होना है, इस कारण उसने तारीफ पर जाना बन्द कर दिया। वादी ने उसे फैसले की बावत धोखा देकर एकतरफा मुकदमा तय करा लिया है। वह उक्त वाद की नकल लेकर रेस्टोरेशन दायर कर रहा है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। उसने कोई गलती नहीं की है। वह मुकदमें को लडना चाहता है।अतः उक्त मूलवाद में पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 को निरस्त करके उक्त वाद साक्ष्य के आधार पर गुण दोष पर तय करने की कृपा करे।

विपक्षी/वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति 14सी2 दाखिल की गयी है, जिसमें कथन किया है कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध संविदा के विशिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति हेतु मूलवाद संख्या–202 सन् 2021, अशोक कुमार बनाम राजेश कुमार दिनांक 08.06.2021 को योजित किया था, जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी दिनांक 11.10.2021 को माननीय न्यायालय में हाजिर हुआ और दिनांक 18.11.2021 को न्यायालय के आदेशानुसार विपक्षी/वादी द्वारा प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादपत्र एवं अन्य कागजो की कापी उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 12.05.2022 तक प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया। दिनांक 12.05.2022 को प्रार्थी/ प्रतिवादी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और माननीय न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी और एकपक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक 19.07.2022 नियत की गयी। उक्त दिनांक को उसने अपना साक्ष्य न्यायालय में दाखिल किया और पत्रावली एकपक्षीय बहस हेतु दिनांक 25.08.2022 नियत की गयी। उक्त दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर नियत दिनांक 03.09.2022 को एकपक्षीय आदेश करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया। वादी व प्रतिवादी के मध्य कभी फैसले की बात नहीं हुयी। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में गलत ब्यानी की गयी है। माननीय

न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र का पूर्ण मौका देते हुए वाद की कार्यवाही प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है। प्रार्थी/प्रतिवादी जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय में योजित उक्त विविध वाद को सव्यय निरस्त करने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मूल पत्रावली सिविल सूट संख्या–202 सन् 2021, राजेश कुमार बनाम अशोक कुमार तलब होकर उक्त वाद के साथ संलग्न है।

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र का0 सं0 6सी2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा–151 सी.पी.सी आदेश दिनांकित 03.09.2022 को अपास्त करने हेतु दिनांकित 12.10.2022 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि उसकी वादी से फैसले की बातचीत चल रही थी इसी कारण उसने उक्त मुकदमें में अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया। दिनांक 12.05.2022 को वह रिश्तेदारी में मौत के कारण न्यायालय हाजिर नहीं हो सका, उक्त दिनांक को वाद में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ हो गयीं। दिनांक 19.07.2022 को एकपक्षीय साक्ष्य लेकर दिनांक 25.08.2022 को बहस सुनकर दिनांक 03.09.2022 को मुकदमा एकतरफा डिक्री कर दिया। वह मुकदमें को लडना चाहता है। इस पर विपक्षी/वादी की ओर से आपत्ति की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान है कि किसी भी मामलें का निस्तारण उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देते हुये गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिये। ऐसे में प्रार्थनापत्र में जो आधार प्रार्थी की ओर से वर्णित किये गये है, उसे पर्याप्त मानते हुए प्रार्थी–प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है, जहां तक विपक्षी को इस कार्यवाही से हुई असुविधा तथा देरी का प्रश्न है, तो इसी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 6सी2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी /प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र का0 सं0–6सी2 अंकन 600/–रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। सिविल सूट संख्या–202 सन् 2021, राजेश कुमार बनाम अशोक कुमार में न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनाकित 03.09.2022 व डिक्री को अपास्त किया जाता है। प्रार्थी अविलम्ब हर्जा अदा करें। हर्जा नियत तिथि तक अदा न करने पर एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 03.09.2022 व डिक्री को अपास्त किए जाने हेतु पारित आदेश स्वयं निष्प्रभावी हो जायेगा। हर्जा अदा करने के उपरान्त सिविल सूट संख्या–202 सन् 2021, राजेश कुमार बनाम अशोक कुमार अपने नम्बर पर पुर्नस्थापित किया जाता है। सिविल सूट की पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24.07.2024 को पेश हों।

(सौरभ पाण्डेय)
प्रथम सिविल जज(जू.डि.),
बुलन्दशहर।
JO Code UP 3222

दीपक गुप्ता, आशुलिपिक